रायपुर विकास प्राधिकरण

द्वितीय तल, भक्त माताकर्मा व्यावसायिक परिसर
न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) – 492006
ई–मेल : ceordaryp@gmail.com वेबसाइट : www.rdaraipur.com
फोन : (0771)2536188, फैक्स : 2536188 Toll Free : 1800-233-7188

क्रमांक/ए–2014/11/पी–2/विप्रा/2018 रायपुर, दिनांक 30/07/2018

उप अभियंता (सिविल/विद्युत/यांत्रिकी) के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु विज्ञापन

रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर द्वारा उप अभियंता (सिविल/विद्युत/यांत्रिकी) के पदों पर सीधी भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी एवं पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाईट www.cgvyapam.choice.gov.in पर आमंत्रित किये जाते है।

1. परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार हैः–
   1. परीक्षा की तिथि – 09 सितंबर 2018 (रविवार)
   2. परीक्षा का समय – पूर्वान्ह 10:00 से 1.15 बजे
   3. परीक्षा केन्द्र – बिलासपुर एवं रायपुर (02 संभागीय मुख्यालयों में)
   4. परीक्षा शुल्क – परीक्षा शुल्क निम्नानुसार देय होगा।
      सामान्य वर्ग – 350/–, अन्य पिछड़ा वर्ग 250/–
      अनुसूचित जाति/जनजाति/निःशक्तजन 200/–
   5. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि – 03.08.2018 (शुक्रवार)
   6. ऑनलाईन आवेदन पत्र भर कर ऑनलाईन परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि – 19.08.2018 (रविवार), रात्रि 11.59 बजे तक।
   7. व्यापम की वेबसाईट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि – 01.09.2018 (शनिवार)

8. रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

उप अभियंता (सिविल) पदों की संख्या–

स. क्र.	वर्ग	रिक्त पदों की संख्या	कॉलम–3 में से			
			मुक्त पदों की संख्या	महिला हेतु आरक्षित पदों की संख्या	भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों की संख्या	निःशक्तजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	अनुसूचित जाति	–	–	–	–	–
2	अनुसूचित जनजाति	02	02	–	–	–
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	01	01	–	–	–
4	अनारक्षित	–	–	–	–	–
	कुल योग	**03**	**03**	–	–	–

उप अभियंता (विद्युत) पदों की संख्या–

स. क्र.	वर्ग	रिक्त पदों की संख्या	कॉलम–3 में से			
			मुक्त पदों की संख्या	महिला हेतु आरक्षित पदों की संख्या	भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों की संख्या	निःशक्तजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	अनुसूचित जाति	–	–	–	–	–
2	अनुसूचित जनजाति	01	01	–	–	–
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	–	–	–	–	–
4	अनारक्षित	01	01	–	–	–
	कुल योग	**02**	**02**	–	–	–

उपअभियंता (यांत्रिकी) पदों की संख्या–

स.क्र.	वर्ग	रिक्त पदों की संख्या	कॉलम–3 में से			
			मुक्त पदों की संख्या	महिला हेतु आरक्षित पदों की संख्या	भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों की संख्या	निःशक्तजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	अनुसूचित जाति	–	–	–	–	–
2	अनुसूचित जनजाति	–	–	–	–	–
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	–	–	–	–	–
4	अनारक्षित	01	01	–	–	–
	कुल योग	**01**	**01**	–	–	–

यह नियुक्तियां मान. उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के रिट पिटि. क. (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में मान. न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होंगी।

टीपः– उम्मीद्वार को विज्ञापन जारी होने की अंतिम तिथि तक सिविल/इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल या समकक्ष इंजीनियरिंग में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण तथा जाति, छ.ग. का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। विज्ञापन जारी होने की अंतिम तिथि के पश्चात् जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

आवेदन पत्र भरने से पहले आवश्यक दिशा निर्देशों को अत्यंत सावधानी से पढ़े तथा सेम्पल फार्म (नमूना आवेदन पत्र) का अवलोकन करें।

वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यताः–

(1) वेतनमान – उप अभियंता (सिविल/विद्युत/यांत्रिकी) का नियमित वेतनमान रूपये 35400/– एवं छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ता देय होगा।

(2) शैक्षणिक योग्यता –उप अभियंता (सिविल) – मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।
उप अभियंता (विद्युत) – मान्यता प्राप्त संस्था से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।
उप अभियंता (यांत्रिकी) – मान्यता प्राप्त संस्था से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।

(3) पात्रता की शर्तें – शासन के नियमानुसार।
आयु सीमा – शासन के नियमानुसार।
उच्चतम आयु सीमा में छूट– शासन के नियमानुसार।

(4) <u>चयन प्रकियाः–</u>

1. उपरोक्त आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक 13 – 14/2009/आ.प्र./1–3 दिनांक 09.04.2012 के निर्देशानुसार अ.जा. 12 प्रतिशत, अ.ज.जा. 32 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत रखा गया है।
2. उपरोक्त पदों पर चयन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के मेरिट के आधार पर काउंसिलिंग द्वारा किया जावेगा।
3. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता प्रदान की जायेगी, जिन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
4. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार विभाग होगा।
5. चयनित उम्मीद्वार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. चयनित उम्मीद्वार को पुलिस व्हेरीफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य संबंधी सक्षमता फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जावेगा।
7. यह नियुक्ति पूर्णतः पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, अतएव नियुक्ति के शर्तों के अनुसार किसी भी समय आवेदक की सेवाएं समाप्त की जा सकती है।
8. छत्तीसगढ़ विकास प्राधिकरण सेवा (अधिकारी तथा कर्मचारी) भर्ती नियम 2013 के तहत सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियों की सेवा 02 वर्ष के लिए परीविक्षा अवधि पर होगी तत्पश्चात् योग्य पाये जाने पर नियमित किया जायेगा।
9. वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूचियों की स्वयं अथवा राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित प्रतियों को काउंसिलिंग के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। मूल प्रमाण पत्रों को भी अपने साथ लाना होगा।
10. जाति के समर्थन में उम्मीद्वार को शासन के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति काउंसिलिंग के समय लाना अनिवार्य है।

11. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा।

12. शासकीय/अर्ध शासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए उनका आवेदन पत्र नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

13. जन्मतिथि के प्रमाणीकरण हेतु हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा उतीर्ण प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा।

14. भर्ती प्रकिया के दौरा उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिए जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेंगे।

15. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं एवं शर्तों को पूरा करने पर ही ऑनलाइन आवेदन करें। काउंसिलिंग में सम्मिलित किये जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है, चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीद्वारी समाप्त की जावेगी।

ऑनलाइन आवेदन करने की विधि, ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भुगतान की विधि, भर्ती नियम, विभाग द्वारा जारी विज्ञापन, पाठ्यक्रम आदि का अवलोकन व्यापम की वेबसाईट पर cgvyapam.choice.gov.in किया जा सकता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
रायपुर विकास प्राधिकरण
रायपुर छ0ग0